

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(सब)जी-39-11/21-22/आ.कृ/ग्रुप-9/14683-93

दिनांक: 18/03/2021

कार्यालय आदेश

निम्नानुसार सहायक कृषि अधिकारी जो कि अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम सहायक कृषि अधिकारी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री नंदपुरी गोस्वामी	05.04.1961	30.04.2021	सहायक निदेशक कृषि (वि) नाथद्वारा
2.	श्री कन्हैया लाल जाट	21.05.1961	31.05.2021	उप निदेशक उद्यान दुर्गापुरा जयपुर
3.	श्री माधवलाल जाट	05.03.1962	31.03.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) नाथद्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ० ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज(कृषि)

क्रमांक प.2(सब)जी-39-11/21-22/आ.कृ/ग्रुप-9/14683-93

दिनांक: 18/03/2021

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- आयुक्त उद्यान विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) भीलवाड़ा।
- 4- उप निदेशक कृषि उद्यान दुर्गापुरा जयपुर।
- 5- उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद कांकरोली।
- 6- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- सहायक निदेशक कृषि (वि०) नाथद्वारा।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक श्री.....
- 9- निजी पंजिका।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)